10/02/26 अधिवक्ता पत्रकारान उपस्थित।
उक्त पत्रों की जांच सुनी गई।
प्रार्थिगण का आवेदन तहसीलदार
से प्राप्त मांग व रेकर्ड की
तथ्यात्मक रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य
में स्वीकार किया जाता है
अतिरिक्त पृथक से लिया
जाकर शांति दी।
पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़